



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-23/2018-1270 दिनांक : 09/10/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक  
वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/  
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर  
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत  
वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल **रु0 405.676 लाख (चार  
करोड़ पाँच लाख सड़सठ हजार छः सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन  
लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-35/2018-15/स्वी0 व0प0  
दिनांक-26.07.2018 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-  
35/2018-58/आ0 व0प0 दिनांक 31.07.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-  
वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र  
उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत  
वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 405.676 लाख (चार  
करोड़ पाँच लाख सड़सठ हजार छः सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित  
इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	297.053
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	108.623
कुल :-		405.676

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन  
प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों  
के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2**, स्थल विवरणी  
**अनुलग्नक-3** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601796580103 तथा पी0  
19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय  
प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगा तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।
14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर

किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्रिम कार्य स्थल क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदन कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय करेंगे।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन/संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-23/2018-1270 दिनांक-09/10/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/संथाल परगना, दुमका/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन/संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-23/2018-1270 दिनांक-09/10/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ चाईबासा/ लातेहार/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन/संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर :  $\text{रु० } 237.38$  प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			32288.40	11806.99	44095.39
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	250.00	80.721	29.517	110.238
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	170.00	54.890	20.072	74.962
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	250.00	80.721	29.517	110.238
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	250.00	80.721	29.517	110.238
योग :-		920.00	297.053	108.623	405.676

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास  
झारखण्ड, राँची

## 7 वार्षिक वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु०) :-

237.38

1	2	3	4	6	5	7	8
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	712.14	0.00	712.14	
2	झाड़ी सफाई			0.00	0.00	0.00	
2.1	सामान्य झाड़ी	हे०	7.00	1661.66	0.00	1661.66	
3	घेरान कार्य -			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवदक लाभ घटाकर दर )		2	474.76	1963.79	2438.55	प्रति हे० अनुमानिक 6 चैन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	36.50	8664.37	0.00	8664.37	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	3916.77	0.00	3916.77	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर द्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	3989.00	3989.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंदूर ट्रेंचिंग- 90, कंदूर ट्रेंच साईज 5 मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हे०	55.00	13055.90	0.00	13055.90	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)		16.02	3802.80	5704.20	9507.00	
	योग-		136.02	32288.40	11806.99	44095.39	
अप्रैल 2019-19							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हे०	21.50	5869.50	0.00	5869.50	
2	वृक्षारोपण	हे०	36.50	9964.50	0.00	9964.50	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	41.50	11329.50	0.00	11329.50	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2.00	546.00	0.00	546.00	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	9.20	2511.60	0.00	2511.60	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग-		110.70	30221.10	2515.00	32736.10	

1	2	3	4	6	5	7	8
ग.							
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	7222.00	0.00	7222.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	12.20	3830.80	0.00	3830.80	
4	गड़ढा घेरान की मरम्मत	चेन	1.00	314.00	0.00	314.00	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	942.00	290.00	1232.00	
	योग-		39.20	12308.80	2182.40	14491.20	
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे०	23.00	8303.00	0.00	8303.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	12.20	4404.20	0.00	4404.20	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	1083.00	290.00	1373.00	
	योग-		38.20	13790.20	1590.00	15380.20	
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	23.00	9545.00	0.00	9545.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	12.20	5063.00	0.00	5063.00	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	1.00	415.00	0.00	415.00	
	योग-		36.20	15023.00	500.00	15523.00	
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	12.20	5819.40	0.00	5819.40	
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	12.20	6697.80	0.00	6697.80	
	सकल योग-		384.72	116148.70	18594.39	134743.09	

प्रधान, मुख्य वन संपर्क, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोग) के अन्तर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी (1666 पौधा प्रति हे०)

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट्स	प्लॉट संख्या	रकबा (हे० में)				
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x				
1	पूर्वी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	सा०वा० प्रक्षेत्र, घाटशिला	चकुलिया	घाटशिला-801	अर्जनबेड़ा	N 22° 31.812' E 086° 68.929'	195	20				
					घाटशिला-611	नयामासान	N 22° 17.753' E 086° 50.196'	29, 73, 125, 389, 432, 438	30				
				घाटशिला	घाटशिला-57	माहताम	N 22° 39.25.43' E 086° 37.35.18'	16, 31, 271, 260, 261, 747, 275	30				
				बहरागोड़ा	घाटशिला-561	मंगरूशोल	N 22° 33.581' E 086° 79.921'	431, 432, 433, 434, 631	30				
				चाण्डिल	चाण्डिल-83	बेरासी सिरुम-2	N 23° .07436 E 086° .1149	577, 545, 505, 783, 819, 846, 1103, 989, 991, 988	50				
				सा०वा० प्रक्षेत्र, आदित्यपुर	सरायकेला-76	बड़ाहिरहारपुर	N 22° .51707 E 086° .04250	307, 345, 305, 291, 295, 293, 309	30				
				सा०वा० प्रक्षेत्र, चाण्डिल	ईचागढ़	कुटाम	N 23° 5.62' E 085° 45.45'	1, 2, 3, 4, 5	30				
				योग :-							250		
				2	जमशेदपुर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	सा०वा० प्रक्षेत्र चक्रधरपुर	कुचाई	खरसावाँ-30	युगीडीह	N 22° 47'18.9" E 85° 41'57.3"	23, 14, 291, 4762	30
											N 22° 50.274' E 85° 44.520'	155, 202, 208, 209, 212, 1050, 1052, 1273, 1489, 1425, 1262, 821, 4, 48, 9, 71, 39, 3	30
			N 22° 49.179' E 85° 45.352'										

क्र० ई.	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना न०	स्थल / ग्राम का नाम	जीपीओएस0 को-ऑर्डिनेट्स	प्लॉट संख्या	रकबा (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
				सरायकेला	सरायकेला-311	हाथीमारा	N 22° 40.509' E 85° 52.188'	3, 79, 259, 11, 153, 159, 106, 341, 344, 338, 194	50
				खरसावाँ	खरसावाँ-19	दामनदिसी	N 22° 50.354' E 85° 46.374'	168, 232, 323, 691, 688, 659, 403, 339, 341, 342, 30, 356, 358, 388, 60, 350	30
				कुवाई	खरसावाँ-195	गोपीडीह	N 22° 48.156' E 85° 42.216'	306, 1235, 1341	30

योग :-

170

3	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	सा0वा0 प्रक्षेत्र, बालूमाथ	बरियातू	बालूमाथ-82	रूढ़	N 23° 55' 82" E 84° 46' 123"	199, 92, 198, 197, 202, 215, 144, 331, 332, 334, 216, 284	50
			सा0वा0 प्रक्षेत्र, लातेहार	लातेहार	बालूमाथ-169	तुवेद	N 23° 54' 76" E 84° 43' 118"	2, 4, 371, 580, 546, 494, 462	50
				चंदवा	बालूमाथ-251	बासी	N 23° 49' 16" E 84° 34' 42"	617पी0, 18पी0, 19पी0, 30पी0	50
				पाटन	पाटन-258	सेमरी	N 23° 43' 14" E 84° 38' 30"	1, 358, 1583, 1584, 1582	25
				सतबरवा	लेस्लीगंज-285	चपर्णा	N 24° 13' 002" E 84° 10' 484"	2, 7, 866	35
							N 23° 58' 132" E 84° 16' 430"	226, 439, 450, 476	40
योग :-									250
4	दुमका	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	सा0वा0 प्रक्षेत्र, शिकारीपाड़ा	शिकारीपाड़ा	आमाजोरा-13	शामपुर	225, 247, 253, 260, 268, 277		10
									80

59

क्र० सं.	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	धाना / नं०	स्थल / ग्राम का नाम	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट्स	प्लॉट संख्या	रकबा (हे० मे)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
			सा०वा० प्रक्षेत्र, दुमका	मसलिया	सिंगरो-37	फतेहपुर		639, 723, 725	30
					सिंगरो-38	कुंजबना		2, 170, 793, 936	
					सिंगरो-39	बीचकोड़ा		2, 94, 268, 309	
			सा०वा० प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड	जामा	लकड़ापहाड़ी-33	खिजूरिया		142, 109, 328, 399, 400	40
			सा०वा० प्रक्षेत्र, जामतड़ा						50
योग :-									
सकल योग :-									
									250
									920

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
इं. झारखण्ड, राँची।



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-23/2018/1270

दिनांक - 09-Oct-2

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61686	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	8,072,100.00 रुपये अस्सी लाख बहत्तर हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61690	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O. SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	5,489,000.00 रुपये चौपन लाख नवासी हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61693	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	8,072,100.00 रुपये अस्सी लाख बहत्तर हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

21,633,200.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड सोलह लाख तैतीस हजार दो सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

SPCCF DEBADMARWANSI RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	61700	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	8,072,100.00 रुपये अस्सी लाख बहत्तर हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601796580323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61732	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR	2,951,700.00 रुपये उन्तीस लाख इकावन हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601796580323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61734	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	2,007,200.00 रुपये बीस लाख सात हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

13,031,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड छयालीस लाख चौसठ हजार दो सौ


34,664,200.00



(SHRI SATNAM SINGH)

SPECIAL DEPARTMENTAL RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61735	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	2,951,700.00 रुपये उन्तीस लाख इकावन हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	61739	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	2,951,700.00 रुपये उन्तीस लाख इकावन हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			



योग:

5,903,400.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड पॉच लाख सड़सठ हजार छः सौ

40,567,600.00

(SHRI SATNAM SINGH)

866F.D.BADHAMAN(RS)RANCHI